# न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

## पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, RAS

## पत्रावली संख्या : 88/19 (प्रा0पत्र)

**अनवान्**

1. श्री सलीम मोहम्मद पिता मुस्ताक खां मुसलमान निवासी डबोक तह. मावली।
2. श्री इकबाल पिता मुस्ताक खां मुसलमान निवासी डबोक तह. मावली।
3. नूरजहां पुत्री मुस्ताक खां मुसलमान निवसी डबोक तह. मावली।
4. श्रीमती शराफत बेगम पत्नी मुस्ताक खां मुसलमान निवासी डबोक तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

**बनाम**

1. श्री न्याज मोहम्मद पिता मुस्ताक खां मुसलमान निवासी डबोक तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का डबोक तह. मावली।
3. उप पंजीयक महोदय, मावली तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

**उपस्थित–1.** श्री नरेन्द्र वीरवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1।

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## –: : निर्णय : :–

**दिनांक : 09.09.2020**

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 1665, 1666, 1667, 1668 किता 4 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. एक के नाम पर संयुक्त रूप से 179/1994 एवं 1/24 हिस्सानुसार व अन्य के नाम पर अंकित हैं। हम प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 न्याज मोहम्मद एक ही परिवार के सदस्य होकर स्व. मुस्ताक खां की जायन्दा संताने व पत्नी है और उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि पैतृक भूमि है जिसमें हम प्रार्थी सं. 1 से 4 का 179/1344 एवं 1/24 हिस्सा में से 4/5 हिस्सा है और उक्त भूमि का बंटवारा हमारे मध्य विधिक रूप से नहीं हुआ है और मौके पर भी इसी हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से काबिज है और हमारे मध्य विधिक रूप से बंटवारा नहीं हुआ है परन्तु विपक्षी सं. 1 की नियत में फितूर उत्पन्न हो गया है और विपक्षी सं. 1 उक्त संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि में

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.14 14:36:37 IST
Reason: SelfAttested

से अपने 1/5 हिस्से को बिना बंटवारा करवाये किसी अन्य को विक्रय करने पर उतारू है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं क्योंकि उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भूमि पर सहखातेदार का संयुक्त रूप से कब्जा है इसलिए न्यायहित में विपक्षी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबंद फरमाये जावे कि विपक्षी संख्या 1 जब तक उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का सभी सह खातेदारों के मध्य विधिक रूप से बंटवारा नहीं हो जाता तब तक उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि या इसके किसी भू भाग या हमारे हिस्से व कब्जे की कुलिया 4/5 हिस्सा भूमि को किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस नहीं करे और राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

2. यह कि प्रार्थीगण का प्राइमाफेसी केस है क्योंकि उक्त वर्णित पैतृक भूमि संयुक्त खातेदारी की होकर हम प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा है, सुविधा संतुलन भी हमारे पक्ष में है क्योंकि उक्त पैतृक भूमि का बंटवारा हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 के मध्य विधिक रूप से नहीं हुआ है और हम प्रार्थीगण अपने 4/5 हिस्से की भूमि पर संयुक्त रूप से सुविधा की दृष्टि से काबिज है और हमारे ही उपयोग उपभोग में है और यदि विपक्षी सं. 1 उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि को बिना बंटवारा करवाये किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस या किसी भी तरीके से हस्तान्तरित कर देगा तो मौके पर स्टेन्जर परचेजर आकर विप्रार्थना करेगा, और मौके पर अशांति होगी व अनावश्यक मुकदमेंबाजी बढेगी इससे जो क्षति हम प्रार्थीगण को होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने पर विपक्षी सं. 1 को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी। अतः विपक्षी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबंद फरमाया जावे कि विपक्षी सं. 1 उक्त पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि पर जब तक सभी सह खातेदारों के मध्य विधिक रूप से बंटवारा नहीं हो जाता तब तक उक्त पैतृक भूमि या इसके किसी भू भाग को किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस या किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें और मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाए रखे।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव डबोक पटवार हल्का डबोक में खेवट खतौनी सं. 1665, 1666, 1667, 1668 कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि स्थित होकर प्रार्थीगण एवं मुझ विपक्षी सं. 1

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.14 14:36:37 IST
Reason: SelfAttested

के नाम संयुक्त रूप से 179/1344 हिस्सा एवं 1/24 हिस्सा अनुसार वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज हैं। प्रार्थीगण एवं मैं विपक्षी एक ही परिवार के सदस्य होकर स्वर्गीय मुस्ताक खां की जायन्दा संताने एवं पत्नी हैं और हमारे नाम अंकित हिस्सा कृषि भूमि हमारे पैतृक सम्पति हैं। प्रार्थीगण एवं मुझ विपक्षी के मध्य मौके पर वर्षों पूर्व ही विभाजन किया हुआ है और मैं विपक्षी अपने हक हिस्से की भूमि पर वर्षों से नियमित रूप से काबिज होकर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हुं तथा मेरे हिस्से कब्जे की भूमियों के चारों तरफ पालीये डोलियें बनी हुई है और मैने लाखों रूपयों की लागत लगाकर एवं मेहनत मजदूरी कर अपने कब्जे हिस्से की जमीन को उपजाऊ बनाकर आवादान की है और अपने हिस्से कब्जे की जमीन पर वर्षों से मौसमवार फसलो की बुवाई कर पैदावार लेता आ रहा हुं और आज भी अपने हक हिस्से की भूमि पर अनवरत् काबिज चला आ रहा हुं और प्रार्थीगण भी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है जिसका ज्ञान हर आम एवं खास को हैं। इससे स्पष्ट है कि मौके पर संयुक्त रूप से कोई कब्जा काश्त कभी भी नहीं रहा है और सभी अपने–अपने हक हिस्से अनुसार स्वतन्त्र रूप से काबिज होकर काश्त एवं उपयोग उपभोग करते आ रहे है लेकिन मेरे द्वारा अपनी भूमियों पर परिवार सहित परिश्रम कर एवं काफी लागत लगाकर जमीन को आवादान करने से मेरी भूमि उपाऊ होने से प्रार्थीगण लोभ लालच के वशीभूत होकर आपस में मिलीभगत कर इस तरह के झूठे व मनगढन्त कथन प्रकट कर एवं इस मिथ्या मुकदमे की आड लेकर मुझसे मेरी जमीन को जोर जबरदस्ती हथियाने पर उतारू हो रहे है और इसी गरज से ये लोग मुझे मेरी जमीन पर शांतिपूर्वक काश्त नहीं करने दे रहे है और आये दिन झगडा फसाद करते हुए मौके पर अशांति का माहौल तैयार मेरे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा करते आ रहे है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त भूमि केवल मात्र रेवेन्यु रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जबकि मौके पर वर्षों पूर्व ही पांती बंटवाडे होकर पृथक–पृथक रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है और मैं विपक्षी भी अपने कब्जे काश्त की भूमि का खातेदार काश्तकार हुं और मुझे अपने खातेदारी की हिस्सा भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं और मुझे अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग करने से प्रार्थीगण किसी भी अवस्था में रोकाने का अधिकार नहीं रखते हैं और न ही प्रार्थीगण को मेरे खिलाफ किसी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.14 14:36:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का ही अधिकार हैं। कानूनन भी मैं विपक्षी इस भूमि का सहखातेदार हुं और सहखातेदार के विरूद्व किसी भी रूप में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना कानुन की मंशा में स्पष्ट रूप से गलत हैं। प्रार्थीगण इस भूमि को संयुक्त खातेदारी की बताकर मुझ विपक्षी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के लिए यह वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। लेकिन प्रार्थीगण ने अपने दावें में न तो विभाजन किये जाने बाबत् कोई दाद अंकित नहीं की है और न ही विभाजन के लिए कोई वाद प्रस्तुत कर रखा हैं। यदि वास्तव में मौके पर उक्त भूमि संयुक्त कब्जे काश्त में होती तो प्रार्थीगण विभाजन के लिए अवश्य ही वाद करते। लेकिन मौके पर विभाजन हुआ होने से प्रार्थीगण ने विभाजन का वाद नहीं किया हैं। इन परिस्थितियों में प्रार्थीगण की मंशा यह स्पष्ट प्रकट हो रही है कि प्रार्थीगण येन–केन प्रकारेण मुझ विपक्षी को तंग परेशान करते हुए दबाव बनाकर मेरी जमीन को हथिया लेवें। इस प्रकार इन परिस्थितियों में प्रार्थीगण द्वारा मुझ विपक्षी के विरूद्व चाही गई दाद प्रदत्त किया जाना न तो न्यायहित में है और नहीं कानुन की मंशा में है। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण मुझ विपक्षी के विरूद्व किसी भी रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकार नहीं हैं। बल्कि प्रार्थीगण ने वाद एवं प्रार्थना पत्र दुर्भावना पूर्वक मुझ विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत किया है जिससे प्रार्थीगण वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाये जाने योग्य हैं। क्योंकि मौके पर वर्षों पूर्व ही बंटवाडा कर रखा है तथा प्रार्थीगण एवं मैं विपक्षी अपने हिस्से कब्जे की भूमि पर शांतिपूर्वक पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। ऐसी अवस्था में मुझ विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नही हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत, मिथ्या, मनगढन्त एवं कपोल कल्पित तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

4. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RRT 2018 (1) Page 692, RRT 2018 (2) Page 1275, RRT 2018 (2) Page 845, RRT 2018 (1) Page 405, RRT 2017 (supp) Page 637, RRT 2013 (2) Page 1108, RRT 2016 (1) Page 113, RRT 2019 (2) Page 777 पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.14 14:36:37 IST
Reason: SelfAttested

5. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* उक्त वर्णित आराजीयात पैतृक सम्पति होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 के नाम संयुक्त खातेदारी से राजस्व रेकार्ड में अंकित हैं। प्रार्थीगण द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना पत्र लगाया गया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 दोनो ही खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जबकि भूमि सामलाती होने से बंटवाडे की किसी प्रकार की कोई दाद नहीं मांगी हैं। प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते है, चूंकि दोनो ही खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा। अतः प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।
2. *अपूरणीय क्षति–* भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 की पैतृक सम्पति होकर दोनों ही उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं, प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 संयुक्त खातेदार है। यदि विपक्षी सं. 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा को यदि कन्फर्म किया जाता है तो विपक्षी सं. 1 को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।
3. *सुविधा का संतुलन–* प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व में निर्णित किया जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व में निर्णित किया जाता हैं।

6. हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी सं. 1 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 की पैतृक सम्पति होकर दोनों ही स्वतन्त्र रूप से अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करना बता रहा हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज होकर सामलाती हैं। प्रार्थीगण द्वारा भूमि सामलाती होने से बंटवाडे का वाद नहीं लाकर केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है जबकि

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.14 14:36:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थनाग्रस्त भूमि सामलाती होकर प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 दोनो ही खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में यदि खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पडेगा, एवं उसे भारी असुविधा का सामना करना पडेगा।

7. प्रार्थनाग्रस्त भूमि पैतृक होकर विरासत से प्राप्त हुई हैं जिस पर प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थीगण ने बिना बंटवाडे का केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर खातेदार विपक्षी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराना चाह रहा हैं जो विपक्षी सं. 1 को अपनी भूमि के स्वतन्त्र उपयोग उपभोग करने में अवरोध पैदा करने की मंशा से वाद प्रस्तुत करना प्रतीत होता हैं। विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार होने से खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। जैसा की माननीय न्यायालय की नजीर ''RRT 2016-17 (supp) Page 637, Malkiyat Kaur & Anr. Vs. Malkiya Kaur & Ors. – Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 212 Temporary injuction Application rejected-Concurrent findings–Non-petitioner No.4 purchased the land from the non-petitioner No. 1 to 3 & he is recorded khatedar of the land-No T.I. can be granted against a recorded khatedar – No primafacie case made out-Neither balance of convenience non irreparable loss is infavour of the petitioners-Held, Revision dismissed.'' और ''RRT 2013 (2) RRT 1108, Kiran & Ors. Vs. Ajay Kumar & Anr. – Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 212 – Temporary injunction – Defendant are the co-khatedars & no T.I. can be grantes & cannot be restrained to sell their share – Held, Order of granting T.I. set aside." और ''RRT 2016 (1) RRT 113, Chawali & Ors. Vs. Balki Devi & Ors. – Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 212 – Plaintiff & defendants both files the application for granting Y.I. – One co-tenant cannot claim T.I. against the another co-tenant – Held, Orders passed by the Courts below are erroneous & set aside." |

8. माननीय न्यायालय की नजीरों से स्पष्ट है कि रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती हैं। उक्त नजीरें इस प्रकरण पर हूबहू चस्पा होती है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी सं. 1 खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.14 14:36:37 IST
Reason: SelfAttested

उचित नहीं हैं। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

## —: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

**(रमेश सीरवी पुनाड़िया)**
**सहायक कलक्टर**
**(SDO)मावली**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.14 14:36:37 IST
Reason: SelfAttested